



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16 2010/कार्तिक 25, 1932

No. 305]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2010/KARTIKA 25, 1932

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
अधिसूचना

लखनऊ, 18 अक्टूबर, 2010

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
(कर्मचारियों को उपदान का संदाय) (संशोधन)  
विनियम, 2010

फा. सं. मा. सं.वि.वि.सं. 2676/स्टाफ जन (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002 में एतद्द्वारा निम्नवत संशोधन करता है :—

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

2. ये विनियम 24 मई, 2010 से प्रभावी होंगे।

3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002 (जिन्हें एतदपश्चात् 'प्रमुख विनियम' निर्दिष्ट किया जाएगा) के विनियम 6 के उप-विनियम (1)(क) एवं (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(1)(क) लघु उद्योग बैंक में पूरी की गई सेवा अथवा प्रत्याशित सेवा के पहले 20 वर्ष हेतु, प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा 6 माह से अधिक उसके हिस्से के लिए एक माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि, जो अधिकतम 20 माह के वेतन और महंगाई भत्ते अथवा रु. 9,00,000 जो भी कम हो, के बराबर हो सकती है।"

"(1)(ख) लघु उद्योग बैंक में पूरी की गई 20 वर्ष से अधिक की सेवा अथवा प्रत्याशित सेवा के, प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा

6 माह से अधिक उसके हिस्से के लिए आधे महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर अतिरिक्त राशि।"

4. प्रमुख विनियम के विनियम 6 के उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(2) यदि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार किसी कर्मचारी की उपदान पाने की पात्रता विनियम 6(1) के अंतर्गत निहित पात्रता से अधिक हो तो वह, उप-विनियम 6(1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान का भुगतान पाने का पात्र होगा।"

5. प्रमुख विनियम के विनियम 9 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"9. प्रदत्त उपदान पर कर्मचारी द्वारा वहन किया जाने वाला कर, कर योग्य उपदान के उस हिस्से पर कर तक सीमित होगा, जो लघु उद्योग बैंक की संशोधित अधिकतम सीमा की राशि और लघु उद्योग बैंक की पूर्ववर्ती अधिकतम सीमा की राशि के अन्तर को प्रदत्त उपदान द्वारा विभाजन के अनुरूप होगी और कर की शेष राशि लघु उद्योग बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

परन्तु यह भी कि यदि सेवा काल में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो प्रत्याशित सेवा और वास्तविक सेवा के आधार पर स्वीकार्य उपदान के अंतर पर देय आय-कर और अधिकर, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 8 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा उस प्रकार से वहन किया जाएगा जो लघु उद्योग बैंक निर्धारित करे और उसकी कटौती ऐसे व्यक्तियों को देय उपदान की राशि में से की जाएगी।"

राकेश रेवारी, उप-प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/4/139 ए/10/असा.]

**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT  
BANK OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Lucknow, the 18th October, 2010

**Small Industries Development Bank of India  
(Payment of Gratuity to Employees) (Amendment)  
Regulations, 2010**

**F. No. HRDD No. 2676/ Staff Gen. (2).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002, namely:—

1. These regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) (Amendment) Regulations, 2010.

2. They shall come into force with effect from May 24, 2010.

3. Sub-Regulations (1)(a) & (b) of Regulation 6 of the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as Principal Regulations) shall be substituted with the following :

“(1)(a) a sum equal to one month’s pay plus dearness allowance for each completed year of service or anticipated service in the Small Industries Bank or part thereof in excess of 6 months, subject to a maximum of 20 months’ pay plus dearness allowance or Rs. 9,00,000, whichever is less, for first 20 years of service.”

“(1)(b) an additional sum equal to half month’s pay plus dearness allowance for each completed year of service or anticipated service in the Small Industries Bank or part thereof in excess of 6 months for service or anticipated service in excess of 20 years.”

4. Sub-Regulation (2) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted with the following :

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation 6(1), an employee shall be entitled for Payment of Gratuity as per the Payment of Gratuity Act, 1972, in case his entitlement thereunder is more than that of under Regulation 6(1).”

5. Regulation 9 of the Principal Regulations shall be substituted with the following :

“9. Tax to be borne by the employee on the gratuity granted shall be restricted to tax on that portion of the taxable gratuity as is equivalent to the difference between the amount of Small Industries Bank’s revised ceiling and the amount of the Small Industries Bank’s previous ceiling as divided by the total gratuity granted and the balance of the tax shall be borne by the Small Industries Bank.

Provided further that in case of an employee who dies while in service, income tax and super tax, if any, payable on the difference in the amount of gratuity admissible on the basis of actual service and anticipated service shall be borne by the persons referred to in Regulation 8 of these Regulations in such a manner as may be decided by the Small Industries Bank and shall be deducted from the amount of gratuity payable to such persons.”

RAKESH REWARI, Dy. Managing Director

[ADVT III/4/139 A/10/Exty.]